राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2125/2014/जयपुर

मैसर्स डेनिस हाउस
238,सावरदा काम्पलैक्स,खजाने वालां का रास्ता,जयपुर अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)प्रथम
वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री पी.सी.जैन
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 04.05.2016

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी व्यवहारीं ने उपायुक्त(प्रशासन)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा प.1.(82)/उपा–1/.धारा 34/2014–15/178 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध पेश की गयी हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि 2010–11 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस जारी करने के बावजूद अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट चतुर्थ,वृत–एफ, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 22 एवं 34(3) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 14.08.2013 को पारित करते हुए कर रू.2,00,000/–शास्ति रू. 60,000/–एवं ब्याज रू. 68,000/– कुल रू 3,28,000/–की मांग सृजित की गई है। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.08.2013 से असन्तुष्ट होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त कर निर्धारण आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है, अतः प्रकरण रि–ओपन करने हेतु अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 23.07.2014 पारित कर अपीलार्थी व्यवसायी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया । अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2014 से क्षुब्ध होकर व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही एकतरफा कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.08.2013 पारित कर रू. 3,28,000/– की मांग सृजित की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी की टिप्पणी के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है,जो तथ्यों एवं रिकार्ड के अनुसार उचित नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस तामील कराये ही कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण रि–ओपन करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को वर्ष 2010–11 का कर निर्धारण पारित करने हेतु लेखा पुस्तकों को प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया, किन्तु नियत तिथि को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गई। उनका कथन कि अपीलार्थी व्यवहारी को कई मौके दिये गये और दिनांक 31.07.2013 के लिए जारी किया गया नोटिस प्रोप. श्री मोहम्मद युनुस कुरैशी को विधिवत् दिनांक 29.07.2013 को तामील हो गया था, किन्तु नोटिस तामीली के बावजूद अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ और ना ही कोई उपस्थित हुआ,ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए रू. 3,28,000/–मांग सृजित की है, जो उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखे हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी का यह कथन कि उन्हें कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के प्रतिकूल है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय पर मनन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 8 पर एक नोटिस उपलब्ध है, जो दिनांक 24.07.2013 को दिनांक 31.07.2013 के लिए जारी किया गया है,जिस पर दिनांक 29.07.2013 में किसी व्यक्ति हस्ताक्षर तो अवश्य तामील अवश्य हुआ है, किन्तु वह किसे

हस्ताक्षर है यह ज्ञात नहीं होता है,क्योंकि हस्ताक्षर के नीचे किसी नाम व पता आदि अंकित नहीं है,जबकि नोटिस तामील करवाते समय नाम व पता अंकित करवाना चाहिए था। पत्रावली पर केवल एक ही नोटिस उपलब्ध है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि कई बार नोटिस जारी किये गये हैं, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है,सही नहीं है। उनको चाहिए था कि यदि एक बार नोटिस की पालना व्यवहारी उपस्थित नहीं हुआ था, तो एक और अवसर देना चाहिए था।

कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में अंकित किया है कि दिनांक 24.07.2013 को जारी किया गया नोटिस दिनांक 29.07.2013 को मोहम्मद युनुश कुरैशी को तामील हुआ है,जो कर निर्धारण अधिकरी की पत्रावली के पेज 5 पर उपलब्ध है। मोहम्मद युनुस कुरैशी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत फार्म वैट–58 में रि–ओपन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके हस्ताक्षर और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस तामील कराये व्यक्ति के हस्ताक्षरों में अन्तर है,जिससे आभास होता है कि नोटिस की तामील मोहम्मद युनुस कुरैशी को नहीं हुई है। इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना ही अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.07.2014 पारित कर अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत रि–ओपन करने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है,जो उचित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी के इस कथन को बल मिलता है कि ना तो उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।।

अतः प्रकरण के तथ्यों पर गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी व्यवहारीं की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, उसे सुनने के पश्चात दो माह में पुनः आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह इस निर्णय की तामीली के पश्चात साठ दिवस के भीतर स्वतः कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आलोच्य अवधि का पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2014 एवं कर निर्धारण अधिकारी के कर निर्धारण आदेश 14.08.2013 को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपील स्वीकार कर उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करनेहेतु प्रतिप्रेषित किया जाता हैं ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य